मध्य प्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन
फोन-0755-2708493, ईमेल- pssocialjustice@mp.gov.in

महत्वपूर्ण

क्रं./ 371/2023/26-2 भोपाल, दिनांक 16 /03/2023

प्रति,

समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश।

विषय :- **राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (7084) का भुगतान बैंक प्रणाली DigiFMS से करने के संबंध में।**

संदर्भ :- संचालनालय का पत्र क्रं. सा.सहा./2023/386 दिनांक 21/02/2023 एवं शासन का पत्र क्रं. 1897/2754/2021/26-2 दिनांक 22/12/2021

संदर्भित पत्र में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (7084) का भुगतान बैंक प्रणाली DigiFMS से करने के संबंध में लेख किया गया था। **DigiFMS** प्रणाली से भुगतान करने हेतु बैंक की टीम द्वारा दिनांक 27/02/2023 को जिलों के अधिकारियों / कर्मचारियों को ऑनलाईन प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में जिला स्तर पर **MAKER** एवं **APPROVER** बनाने एवं हितग्राहियों को पंजीयन करने तथा भुगतान करने की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। दिनांक 28/02/2023 को यूजर मैन्यूअल एवं यूजर आईडी व पासवर्ड उपलब्ध कराये गये।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (7084) का भुगतान बैंक प्रणाली DigiFMS से प्रारंभ करने हेतु जिला अधिकारी निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :-

1. योजना के प्रभारी लिपिक/सहायक का पंजीयन **MAKER** के रूप में करें।
2. जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का पंजीयन **APPROVER** के रूप में करें, APPROVER का आधार नम्बर अनिवार्यत: दर्ज किया जाये।
3. योजना प्रभारी (MAKER) द्वारा निकायों से प्राप्त स्वीकृत प्रकरणों को जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण (APPROVER) के अनुमोदन के उपरांत DigiFMS पोर्टल पर ऑनलाईन दर्ज किया जायेगा अथवा निर्धारित प्रारूप में हितग्राहियों की सूची को अपलोड किया जायेगा ।
4. DigiFMS पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का Online Validation किया जायेगा।
5. Online Validation के उपरांत MAKER द्वारा भुगतान हेतु प्रकरणों को APPROVER को प्रेषित किया जायेगा।

6. जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (APPROVER) द्वारा भुगतान हेतु प्राप्त सूची का परीक्षण कर दस्तावेज से मिलान करने के उपरांत eSign किया जायेगा, जिसमें APPROVER के आधार नम्बर से लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त OTP को दर्ज करना होगा। OTP के Validation के उपरांत बैंक द्वारा भुगतान की कार्यवाही की जायेगी ।
7. किसी भी हितग्राही को उसकी पात्रतानुसार ही भुगतान किया जाये, भुगतान से पूर्व यह पुष्टि कर ली जाये कि पूर्व में हितग्राही को भुगतान तो नहीं हुआ है। यह सुनिश्चित किया जाये कि हितग्राही को एक ही प्रकरण में एक से अधिक बार भुगतान नहीं हो।
8. किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमित्ता होने पर योजना प्रभारी एवं जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तरदायी होंगे।
9. भुगतान उपरांत सफल/असफल भुगतान की रिपोर्ट DigiFMS पोर्टल पर उपलब्ध होगी, जिसके आधार पर भुगतान की समीक्षा की जा सकती है।

उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों का भुगतान DigiFMS से करने की कार्यवाही प्रांरभ करें, DigiFMS से भुगतान करने में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर निराकरण हेतु बैंक की तकनीकी टीम से श्री अनुराग विश्वकर्मा के मोबाइल नम्बर 7898732170 पर संपर्क किया जा सकता है। पोर्टल पर सुधार अथवा सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित सुझाव संचालनालय के ई-मेल आईडी dir.socialjustice@mp.gov.in पर भी प्रेषित किये जा सकते है।

(प्रतीक हजेला)
प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण म.प्र.

पृ.क्र./ 374/2023/262
भोपाल, दिनांक 16 /03/2023

प्रतिलिपी:-

1. वि.क.अ. सह आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.।
4. डिप्टी जोनल मैनेजर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, म.प्र.।
5. समस्त संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, म.प्र.।
6. समस्त समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, म.प्र.।

प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण म.प्र.